

केन्द्र एवं राज्य अन्य पिछडा वर्ग के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप



1. आवेदक के परिवार की जनआधार कार्ड संख्या :-
2. आवेदक का पुरा नाम :-.....
3. जन्म तिथि :-
4. निवास का पूर्ण पता :-
 - a. वर्तमान पता :-
 - b. स्थायी पता :-
- क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी हैं: हां/नहीं
 यदि नहीं हैं तो आवेदक का मूल राज्य जिला तहसील..... पता.....
5. धर्म :-
6. जाति :-
7. उपजाति :-
8. उपजीविका-वर्ग :-
9. आवेदक केन्द्र अ.पि.वर्ग के लिए या राज्य अ.पि. वर्ग के लिए किया जा रहा है। (केंद्र/राज्य)
10. अ.पि.व. की केन्द्र/राज्य सूची में
 जाति का क्रम संख्यांक :-
11. आवेदक के पिता का नाम :-
12. आवेदक की माता का नाम :-
13. माता-पिता का नाम ज्ञात नहीं होने की दशा में सरक्षक का नाम :-
14. आवेदक के पति का नाम :-
15. आवेदक का मोबाईल नंबर :-
16. माता-पिता की प्रास्थिति :-

	पिता	माता	पति
(क) संवैधानिक पद :
(ख) पद का नाम :
(ग) सरकारी सेवाये :

	पिता	माता	पति
i. सेवा(केन्द्रिय/राज्य)
ii. पद
iii. वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो			
iv. पद पर नियुक्ति की तारीख			
v. वर्ग/पद पर पदोन्नति के समय आयु :	(यदि लागू हो)		

(घ) अन्तरराष्ट्रीय संगठन उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र, यूनिस्फे, विश्व स्वास्थ्य संगठन मे नियोजन

- संगठन का नाम :
- पद का नाम :
- सेवा की कालावधि :
 - (दिनांक से तक)
- मृत्यू/ स्थाई अक्षमता (यदि लागू नहीं हो तो छोड दिजिये)
- मृत्यु/अधिकारी की स्थायी अक्षमता की तारीख जब से वह सेवा के अयोग्य हो गया हो।
- अक्षमता का ब्यौरा :

(ङ) पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि से नियोजन

- संगठन का नाम :
- पद का नाम :
- पद पर नियुक्ति की तारीख

(च) पैरा मिलिटरी बलों को सम्मिलित करते हुये सशस्त्र बल

(इसमें सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे)

- पद नाम :
- वेतनमान :

(छ) व्यवसाय वर्ग (उनको छोडकर जो मद संख्या (ख) और (ग) के अन्तर्गत आते है और व्यापार, कारोबार और उधोग मे लगे हुए व्यक्ति।

- उप-जीविका/वृत्ति

(ज) संपत्ति के स्वामी

(झ) कृषि जोते (माता,पिता और अवयस्क बच्चों के स्वामित्व में)

- अधस्थिति
- जोत का आकार

III. (क) - सिंचित

(ख) - सिंचित भूमि का प्रकार

- 1.
- 2.
- 3.

(ग) - असिंचित

- I. राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विषयों के अधीन कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में सिंचित जोत का प्रतिशत।
- II. यदि जोत सिंचित/असिंचित दोनों प्रकार की है तो- राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधि में संपरिवर्तन फार्मला के आधार पर कुल सिंचित जोत।
- III. 4 और 5 के अनुसार अधिकतम सीमा क्षेत्र में कुल सिंचित जोत का प्रतिशत।

(क) - बागान

- I. फसल/फल
- II. अवस्थिति
- III. बागान का क्षेत्र

(ख) - नगरिय क्षेत्रों या नगर बस्ती में रिक्त भूमि और/ या भवन

- I. सम्पत्ति की अवस्थिति।
- II. सम्पत्ति का ब्यौरा।
- III. उपयोग जिसके लिए वह रखी गयी हो।

(ग) - आय/धन

- I. समस्त स्रोतों से कुटुम्ब की वार्षिक आय(वेतनों और कृषि भूमि से आय को अपवर्जित करते हुए)
- II. क्या करदाता है (हां/नहीं) () यदि हां तो तीन वर्ष की प्रति दी जावें।
- III. क्या धन कर अधिनियम के अंतर्गत आता है (हां/नहीं) (यदि ऐसा हेतो ब्यौरा दीजिएं)

(घ) - अन्य कोई अभ्यक्तियां

(ड) - मैं प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त विशिष्टीया मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और कि मैं अन्य पिछड़ें वर्गों की की क्रीमीलियर का हूं या नहीं हूं और अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूं। चयन के पूर्व या पश्चात किसी भी सूचना के मिथ्या या गतल पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूं कि अभ्यर्थता/ नियुक्ति रद्द करणीय होगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिए उत्तदायी होऊंगा जो विधि या नियमों के उपबंधित की जायें।

स्थान :

भवदीय

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

1. गवाह*

मैं पुत्र/पुत्री निवासी विभाग का नाम पद पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि -

प्रार्थी/प्रार्थीया पुत्र/पुत्री श्री निवासी को भली प्रकार से जानता हूं ये अन्य पिछड़ा वर्ग की उपजाति का/की है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

2. गवाह*

मैं पुत्र/पुत्री निवासी विभाग का नाम पद पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि -

प्रार्थी/प्रार्थीया पुत्र/पुत्री श्री निवासी को भली प्रकार से जानता हूं ये अन्य पिछड़ा वर्ग की उपजाति का/की है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पुत्रीश्री निवासी

गांव/शहर तहसील जिला राजस्थान का/की हूं। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि :

1. मैं राजस्थान के अन्य/विशेष पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में सम्मिलित जाति का/की सदस्य हूं
2. मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूं।
3. मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये है।
4. यह कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

जाति की पुष्टि हेतु प्रथमतया: राजस्व रिकार्ड यथा भूमि जमाबंदी या अन्य दस्तावेज ऑनलाईन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में हल्का पटवार जाँच रिपोर्ट

श्रीमान् मुताबिक जाँच, गवाहों एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री श्री निवासी के/की है। यह अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की जाति
..... का/की है। प्रार्थी का राशन कार्ड नम्बर

दिनांक

हस्ताक्षर पटवारी

हल्का नं

तहसील

उपखण्ड

जिला

1. आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाएं (स्टेपल नहीं करना है)
2. स्वयं या पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र जैसे- प्रथमतया राजस्व रिकार्ड यथा भूमि की जमाबंदी एवं आवश्यक हो तो नगरपालिका/विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूखण्ड के पट्टे जिसमें जाति अंकित हो की प्रमाणित प्रति यदि ऑनलाईन नहीं हो तो।
3. आय प्रमाण पत्र/आय कर रिटर्न सम्बन्धी दस्तावेज की प्रति यदि ऑनलाईन दस्तावेज नहीं हो तो।
4. आवेदन पत्र में दिये गये शपथ पत्र को उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।
5. दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा- संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजकीय अधिकारी-कर्मचारी/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी/महापौर (सचीव)/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/स्कूल के हेड मास्टर/संबंधित पी.एच.सी./सी.एच.सी के डॉक्टर/बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता
6. पुराना जाति प्रमाण पत्र की प्रति यदि ऑनलाईन नहीं हो तो।